राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी -- जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर – 206 / 2018 (पुराना)
– 31 / 2022 (नया पुनः दर्ज)

मदन पुत्र भानाराम जाति माली निवासी ढाणी कुलियावाली ग्राम संजयनगर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.......प्रार्थी

बनाम

1. सेडूराम पुत्र जीवणराम जाति माली निवासी ढाणी कुलियावाली तन् संजयनगर तहसील खेतडी जिला झुन्झुनूं, राज0
2. राज0 ग्रामीण बैंक शाखा पपुरना जरिये शाखा प्रबंधक।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदर, खेतडी।

.......अप्रार्थीगण

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क)
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. श्री गिरधारी लाल सैनी – प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री ख्यालीराम सैनी -- अप्रार्थी सं. 1 की ओर से

:: **निर्णय** :: **दिनांक 19–07–2022**

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 03--03-2020 को निर्णय पारित किया गया कि मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार, खेतड़ी दिनांक 17--10-2019 एवं भू अ0नि0 त्यौंदा की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 15--07-2019 में अंकित नक्शा ट्रेस (प्रदर्श--'अ') के स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम संजयनगर तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खसरा नंबर 1063 में जाने के लिए अनावेदक की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1062 रकबा 0.24 है. की उतरी सीमा के सहारे--सहारे 10 फुट चौडाई में पुख्ता आम रास्ता खसरा नंबर 1063 तक कायम किये जाने का आ[illegible] प्रतिकार की रकम पर आपस मे सहमत नहीं हुए है। [illegible] वर्तमान DLC की दर से 0.02 है. भूमि की कीमत 21444/ [illegible] दुगुनी राशि 42,888/ [illegible] अक्षरे बियालीस हजार आठ सौ अट्ठासी रूपये प्रार्थी तहसीलदार, खेतडी के समक्ष जमा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 12:06:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner

करवायेगा। तहसीलदार, खेतड़ी प्रतिकार की रकम का अप्रार्थी को नियमानुसार अदा कर प्रदर्श–'अ' के अनुसार अनावेदक की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1062 के रकबे में से रास्ते की भूमि निर्वापित कर रिकार्ड में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित करेंगे।

तत्पश्चात् अप्रार्थी सं. 1 सेडूराम ने न्यायालय हाजा के निर्णय को चुनौती देते हुए माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर के यहां अपील संख्या 51/2020 उनवानी सेडूराम बनाम मदन आदि पेश की गई। माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ने उक्त उनवानी अपील के निर्णय दिनांक 06–09–2021 से न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 03–03–2020 को अपास्त कर प्रकरण न्यायालय हाजा इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया है कि अपीलांट की सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली प्राप्त होने पर पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को पैरवी हेतु जरिये नोटिस सूचित किया।

अप्रार्थी सं. 1 ने अपना जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि खसरा नंबर 1060 की सीमा से अनावेदक का खेत खसरा नंबर 1062 नहीं लगता है जबकि खसरा नंबर 1061 की पश्चिमी मियाल से अप्रार्थी की भूमि लगती है तथा अप्रार्थी की भूमि या मियाल से कभी भी आवेदक का आना जाना नहीं रहा है क्योंकि अप्रार्थी के खेत खसरा नंबर 1062 की उत्तरी मियाल में एक पीपल का पेड़ खड़ा हुआ है जो करीब 100 वर्षों पुराना है तथा ओर भी करीब 20–25 नीम, बेर, कीकर के पेड़ खड़े है तथा वास्तविकता यह है कि प्रार्थी अपने घर से अपनी बोर वेल जो खसरा नंबर 792/1 में बनी हुई है के पास से खसरा नंबर 792/1, ख.नं. 792/2, ख.नं. 1051, ख.नं. 1052 से होते हुए अपने खेत खसरा नंबर 1064 में आता जाता रहा है। पूर्व में खसरा नंबर 792 का आवेदक भी संयुक्त खातेदार काश्तकार था जिसका विभाजन होने पर अब उसके परिवारजनों के हिस्से में आ गई है। खसरा नंबर 785 एवं 791 में प्रार्थी व अप्रार्थी के मकानात बने हुए है तथा मकानों से सीधा सरल एवं छोटा रास्ता यही था। विभाजन में आवेदक ने अपनी भूमि तक पहुंचने के लिए रास्ते का कटान नहीं करवाया अब [illegible] आवेदन पत्र पेश कर रास्ता लेना चाहता है। प्रार्थी का अपने खे[illegible]63, [illegible]4 में सदेव से उसके पूर्वजों के समय से ही अपने घरों से निकल[illegible] 792/1, 792/2, 1052, 1053 से आना जाना रहा है जिसका नजरी नक्शा संलग्न है। [illegible] किन्हीं सुक्ष्म कारणों से न्यायालय द्वारा अप्रार्थी की भूमि खसरा नंबर 1062 से प्रार्थी को रास्ता कायम किया जाता है तो

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 12:06:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner

प्रार्थी की भूमि खसरा नंबर 1063 की पूर्वी मियाल के सहारे–सहारे प्रार्थी को भूमि के बदले भूमि दिलवाई जावे तथा अप्रार्थी के मियाल के सहारे खड़े हरे पेड़ों के बदले भी मुआवजा दिलवाया जावे। अतः जवाब आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी का आवेदन पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में तहसीलदार, खेतड़ी ने अपने पत्र क्रमांकः राजस्व/2019/1599 दिनांक 17–10–2019 को राजस्व रिकार्ड व मौका स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो निम्नानुसार है :–

1. आवेदक द्वारा चाहे गये रास्ते की आवेदक को अपनी भूमि (जोत) तक पहुंचने के लिए अत्यांतिक आवश्यकता है। उक्त प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी की जोत के सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं है।
2. आवेदक को अपनी भूमि तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होता है।
3. प्रस्तावित रास्ता 30 फुट से अधिक चौड़ा नहीं है तथा प्रस्तावित रास्ते के प्रथम बिन्दु से आवेदक की भूमि तक रास्ते का सीमांकित/दर्शित नजरी ट्रेस में लाल स्याही सुर्ख अंकित कर दिया गया है। प्रस्तावित रास्ता आवेदक की भूमि तक पहुंचने के लिए निकटतम एवं लघुतम है।
4. प्रस्तावित रास्ते में 200 वर्गमीटर भूमि प्रभावित होगी। रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि सड़क से दूर है तथा भूमि की किस्म चाही प्रथम है। वर्तमान डी.एल.सी. के अनुसार एक हैक्टेयर की मालियत 10,72,200/–रू. है। रास्ते में प्रभावित भूमि 200 वर्गमीटर की मालियत 21,444/–रू. बनती है जिसका दुगुना प्रतिकर राशि रू. 42,888/– बनता है।

तहसीलदार, खेतड़ी की उक्त रिपोर्ट पर प्रार्थी/अनावेदक सेडूराम ने प्रारम्भिक आपत्ति निम्न प्रकाश पेश की है कि :–

1. तहसीलदार रिपोर्ट को देखने से ही यह प्रतीत होता है कि श्रीमान तहसीलदार/भू–निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 17-10-2019 [illegible] में बैठक राजस्व रिकार्ड के अनुसार तैयार की है क्योंकि [illegible] ही रिपोर्ट तैयार की है यदि भू–निरीक्षक मौके पर [illegible] दार के हस्ताक्षर तो अपनी रिपोर्ट पर अवश्य करवाता।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 12:06:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner

2. तहसीलदार/भू–निरीक्षक ने आवेदक द्वारा चाहे गये रास्ते की लम्बाई व चौड़ाई कितनी है कहीं भी अपनी रिपोर्ट में दर्ज नहीं किया है।

3. तहसीलदार/भू–निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 17.10.2019 में कहीं भी यह नहीं दर्शाया है कि आवेदक, अनावेदक के खेत खसरा नंबर 1062 में किस खसरा नंबर से व कैसे पहुंचेगा तथा किस रास्ते से अनावेदक का खेत खसरा नंबर 1062 लगता है या फिर आवेदक सीध ही अनावेदक के खेत ख.नं. 1062 में हवाई मार्ग से लैण्डिंग करेगा।

4. तहसीलदार/भू–निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 17.10.2019 में आवेदक का लघुतम/निकटतम रास्ता जो खसरा नंबर 792/1, 792/2 से होता हुआ आता है कहीं भी दर्ज नहीं किया है।

5. खसरा नंबर 1057 से आवेदक ने अलग से प्रार्थना पत्र पेश कर अलग रास्ता की मांग कर रखी है जिसकी लम्बाई कितनी है, तहसीलदार/भू–निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में दर्ज नही किया है।

अतः आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि आवेदक द्वारा चाहे गये रास्ते की पुनः स्पष्ट रिपोर्ट मंगवाई जावे।

उक्त आपत्ति प्रार्थना पत्र विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान को सुना गया। तथा तहसीलदार, खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 17.10.2019 का ध्यानपूर्वक अनुशीलन किया गया। तहसीलदार, खेतडी से प्राप्त जांच रिपोर्ट प्रकरण में विचारणीय बिन्दुओं पर आधारित होने से प्रार्थी/अनावेदक सं. 1 का आपत्ति प्रार्थना पत्र बाबत तहसीलदार, खेतड़ी रिपोर्ट दिनांक 17.10.2019 अस्वीकार किया गया।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं रिपोर्ट तहसीलदार, खेतड़ी व भू–अभिलेख निरीक्षक वृत त्यौंदा का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। अप्रार्थी सं. 1 सेडूराम पुत्र जीवणराम ने अपने जवाब आवेदन के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत कर शपथ पत्र की खण्ड सं. 3 में उल्लेखित किया है कि "प्रार्थी के चाहे गये रास्ते [illegible] जितनी भूमि रास्ते में जाती है के बदले प्रार्थी अपनी भूमि [illegible] मियाल के सहारे–सहारे बदले की भूमि अप्रार्थी/शपथकर्ता [illegible] शपथकर्ता रास्ता देने के लिए सहमत है।" दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षक[illegible] ने अप्रार्थी के उक्त कथन पर सहमति जाहिर की है। तहसीलदार, खेतडी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 17.10.2019 के संलग्न

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 12:06:41 IST
Reason: SelfAttested

[signature]
[illegible] अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner

नजरी नक्शा भू–अभिलेख निरीक्षक वृत त्यौंदा में स्पष्ट किया है कि प्रार्थी को प्रस्तावित रास्ते की आवश्यकता अत्यांतिक है। प्रस्तावित रास्ते (नजरी नक्शा में दर्शित) के अतिरिक्त अन्य कोई निकटतम दूरी का रास्ता पहुंच के लिए उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण को खसरा नंबर 1063 में पहुंचने हेतु खसरा नंबर 1062 में से प्रस्तावित (नजरी नक्शे में लाल स्याही से) मार्ग निकटतम होगा। प्रस्तावित रास्तें मे आनी वाली भूमि का क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर (0.02 है0) बनता है। प्रकरण में पक्षकारान के मध्य रास्ते में निर्वापित भूमि के बदले भूमि दिये जाने पर सहमति बन गई है। प्रार्थी के पास अपनी खातेदारी भूमि ख.नं. 1063 में आने–जाने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के प्रावधानों की पूर्ति करता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार, खेतड़ी के प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम संजयनगर तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खसरा नंबर 1063 रकबा 0.19 है. में जाने के लिए अप्रार्थी सं. 2 की खातेदारी भूमि ख.नं. 1062 रकबा 0.24 है. की उत्तरी मेड के सहारे–सहारे होते हुए 10 फुट चौडाई में ख.नं. 1063 तक नजरी नक्शा (प्रदर्श–अ) मे लाल स्याही से अंकितानुसार कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। चूंकि प्रकरण मे पक्षकारान के मध्य रास्तें में आने वाली भूमि के बदले भूमि देने पर सहमति हुई है, इसलिए भूमि ख.नं. 1062 में से 200 वर्गमीटर (0.02 है.) जो रास्ते मे निर्वापित हुई है उसके बदले मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1063 की पूर्वी दिशा के साथ–साथ जो भूमि ख.नं. 1062 के पश्चिमी दिशा के सहारे लगती हुई है में 200 वर्गमीटर भूमि (0.02 है) प्रार्थी के ख.नं. 1063 मे से कम की जाकर अप्रार्थी सं. 2 की खातेदारी में दिये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार भूमि खसरा नंबर 1062 के रकबे में से रास्ते की बाबत 200 वर्गमीटर (0.02 है.) भूमि निर्वापित कर राजस्व रिकार्ड में किस्म "गैर मुमकीन रास्ता" के रूप में राजकीय खाते में अभिलिखित करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 19–07–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

नोट:- आदेश की तीसरी ... दसवीं लाइन ... स: 2 के स्थान पर अप्रार्थी स: 1 पढ़ा जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 12:06:41 IST
Reason: SelfAttested

(... सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
... सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी
01-08-2022

Scanned with CamScanner